

१२३

(१)

(२)

२

राजस्व निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भूराजस्व संहिता 1959
सहपठित प्रावधान भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 एवं मध्यप्रदेश
लिखिततों के न्यून मूल्यांकन निवारण नियम, 1975

माननीय अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर ऑफ स्टाम्प्स,
इन्दौर द्वारा धारा 33 इण्डियन स्टाम्प एक्ट 1899 एवं सहपठित प्रावधान
म.प्र. लिखिततों के न्यून मूल्यांकन निवारण अधिनियम, 1975 के अन्तर्गत
पंजीबद्ध प्रकरण क्रमांक 34-बी-103 / 14-15 / 33 में पारित आदेश
दिनांक 27.02.2017 से व्यथित होकर यह निगरानी याचिका माननीय
न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है।

अ/व
२०१७

